नादीमुथु और अन्य

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य

फरवरी 26, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860-धारा 34 और 114 के साथ पठित धारा 302-हत्या के लिए अभियोजन-घटना का चश्मदीद-ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष चश्मदीद द्वारा घटना का भिन्न वृत्तांत-चश्मदीद के बाद के वृत्तांत की चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा संपुष्टि-अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर, अभिनिर्धारित: वाद के तथ्यों के दृष्टिगत दोषसिद्धि न्यायोचित है।

आरोपी सं. 1 से 4 को एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी के रूप में अभियोजित किया गया था। मृतक आरोपी सं. 1 से 3 का भाई और आरोपी सं. 4 का पुत्र था। आरोपी ने पहले मृतक को रस्सी से बांधा, उसके माथे पर पीटा, रस्सी से उसका गला घोंट दिया और फिर उसके मुँह में जहर डाल दिया। परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्ष्य 1 (मृतक की पत्नी) घटना की साक्षी थी। मृतक की चीख सुनकर, अभियोजन साक्ष्य 4 और 6 वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपी से पूछा कि वे उसे क्यों पीट रहे हैं, उन्हें हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया क्योंकि यह प्रकरण उनका पारिवारिक विषय था। आरोपी ने अभियोजन साक्ष्य 1 को सत्य प्रकट न करने की धमकी दी। अतः उसने ग्राम प्रशासक को एक असत्य कथा सुनाई, जैसा कि आरोपी द्वारा सिखाया गया था। जब उसके पिता उसके पास आए, तो उसने उन्हें और पुलिस को भी, सत्य वृत्तांत सुनाया। उसने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी एक कथन दिया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 114 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषी पाया।

उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी सं. 4 की अपील उसकी मृत्यु के कारण उपशमित हो गई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है और उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन साक्ष्य 1 और अभियोजन साक्ष्य 4 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है अभियोजन साक्ष्य 1 मृतक की पत्नी थी और उसका साक्ष्य विश्वास जाग्रत करता है। [कंडिका 6 और 8] [185-ई; 186-सी]

2. अभियोजन साक्ष्य 1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष दिया गया कथन उस समय दिया गया था क्योंकि वह उस समय भयभीत थी और आरोपी द्वारा उसे बताया गया था कि यदि उसने सत्य कहा तो वे उसे मार डालेंगे। उस समय उसे किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था, और उसके पिता के आगमन के बाद ही उसे सत्य बोलने का साहस मिला। अतः, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया उसका कथन दबाव और धमकी के अधीन था, और बी विचारण न्यायालय के समक्ष दिया गया उसका साक्ष्य विश्वसनीय है और चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन साक्ष्य 4 और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

[कंडिका 7] [185-एच; 186-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2006 की आपराधिक अपील सं. 680 ।

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं. 86/1997 में दिनांक 3.3.2005 के आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए पी.आर. कोविलान पूंगकुंट्रान, वी. वासुदेवन और टी. हरीश कुमार।

उत्तरदाताओं के लिए सुंदरवरदान, वी.जी. प्रगासम, एस. वल्लीनायगम और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

मार्कंडेय काटजू, न्यायमूर्ति। 1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के 1997 के आपराधिक अपील सं. 86 में दिनांक 3.3.2005 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. अभियोजन का वाद यह है कि अभियोजन साक्ष्य 1 मृतक की पत्नी है। मृतक आरोपी सं. 1 से 3 का बड़ा भाई है। आरोपी सं. 4 मृतक और आरोपी सं. 1 से 3 का पिता है। अभियोजन साक्ष्य 1 आरोपी सं. 4 की पुत्रवधू है। मृतक और अभियोजन साक्षी सोडियानकाडु गांव के निवासी हैं। अभियोजन साक्ष्य 1 ने घटना की तिथि से लगभग 9 वर्ष पूर्व मृतक से विवाह किया था। अभियोजन साक्ष्य 1 और यहां के अपीलकर्ता एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। यह आरोप है कि मृतक एक आवारा जीवन व्यतीत कर रहा था। घटना के समय अभियोजन साक्ष्य 1 की एक साढ़े पांच वर्ष की पुत्री और एक पुत्र था, जो दो वर्ष का था। अभियोजन साक्ष्य 1 के पिता अपनी पुत्री और बच्चों की देखभाल कर रहे थे। 14.7.1994 को लगभग रात 9.30 बजे मृतक एक साइकिल से अपने घर आया। अभियोजन साक्ष्य 1 ने उसे भोजन दिया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। उसने अभियोजन साक्ष्य 1 से पूछा कि उसके पिता कहाँ थे। उस समय, आरोपी सं. 4, मृतक का पिता घर में था। मृतक ने उससे 500/- रुपये की राशि की मांग की, लेकिन उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वह कथित तौर पर एक आवारा जीवन व्यतीत कर रहा था। मृतक ने आरोपी सं. 4 को धमकी दी। उस समय, आरोपी सं. 1 से 3 ट्रैक्टर शेड में बैठे थे। मृतक की माँ रसोई में थी। आरोपी सं. 4 ने मृतक को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी। अचानक आरोपी सं. 1 ने मृतक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया और आरोपी सं. 4 ने आरोपी सं. 3 को एक रस्सी लाने का निर्देश दिया। उस समय एक स्ट्रीटलाइट जल रही थी। आरोपी सं. 1 से 3 ने मृतक को रस्सी से बांध दिया। यह देखकर, अभियोजन साक्ष्य 1 चिल्लाई और मृतक ने भी उसे छोड़ने के लिए कहा। मृतक को बांधने

के बाद, वे उसे एक ट्रैक्टर शेड में ले आए। तुरंत, आरोपी सं. 1 ने एक लकड़ी की पट्टी ली और मृतक के माथे पर पीटा। उसके माथे से रक्त बहने लगा। अभियोजन साक्ष्य 1 रोने लगी और मृतक भी चिल्लाया और उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहा। उस समय, अभियोजन साक्ष्य 4 वहां आया और उनसे पूछा कि वे मृतक को क्यों पीट रहे हैं। आरोपी ने उसे बताया कि यह उनका पारिवारिक विषय होने के कारण, उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुरंत अभियोजन साक्ष्य 4 उस स्थान से चला गया। उसके पश्चात्, आरोपी सं. 1 ने मृतक की दाहिनी कलाई पर लकड़ी की पट्टी से फिर से हमला किया। अभियोजन साक्ष्य 6 और एक गंगाम्मा ने बीच-बचाव किया और उनसे पूछा कि वे मृतक पर हमला क्यों कर रहे थे। आरोपी द्वारा उन्हें भी हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई, क्योंकि यह उनका पारिवारिक विषय था। उसके पश्चात् वे भी उस स्थान से चले गए। हमले के बाद भी, चूँकि मृतक ने अंतिम सांस नहीं ली, आरोपी सं. 3 एक रस्सी लाया और आरोपी सं. 1 और 2 ने इसे मृतक की गर्दन पर बांध दिया और उसका गला घोंट दिया। आगे, आरोपी सं. 4 के कहने पर आरोपी सं. 3 कीटनाशक लाया। आरोपी सं. 1 ने मृतक का सिर पकड़ा और आरोपी सं. 2 ने मृतक के मुँह में कीटनाशक डाल दिया। अभियोजन साक्ष्य 1 जो बाहर खड़ी थी, चिल्लाई। तुरंत, सास ने उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का। मृतक मृत पाया गया। सूचना प्राप्त होने पर, ग्रामीण घटनास्थल पर आए। आरोपी ने अभियोजन साक्ष्य 1 को धमकी दी कि यदि उसने सत्य बताया तो उसकी भी मृतक के समान ही गति होगी। अतः ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष, अभियोजन साक्ष्य 1 ने आरोपी द्वारा बताई गई सब बातें कही, जिसे लेखबद्ध किया गया और इसे प्रदर्श पी.1 के रूप में चिह्नित किया गया। उसे रिपोर्ट, प्रदर्श पी.6 के साथ एक सेवक के माध्यम से थिरुथुरईपूंडी पुलिस थाना को भेज दिया गया। उसके पश्चात् अभियोजन साक्ष्य 1 के पिता वहां पहुंचे और उससे पूछा कि क्या घटित हुआ। उसने उन्हें और पुलिस को भी वास्तविक घटनाक्रम सुनाया। पंद्रह दिनों के बाद, उसने थिरुवरूर के

न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी एक कथन दिया, जिसे प्रदर्श पी.2 के रूप में चिह्नित किया गया।

3. अंत्यपरीक्षण प्रतिवेदन में मृतक के शरीर में उल्लिखित चोटें निम्नानुसार हैं:-

"1. 4 सेमी x । सेमी हड्डी दिखने वाली विदारित चोट दाहिने मास्टॉयड क्षेत्र के ठीक ऊपर उपस्थित है।

2. 2 सेमी x 1/2 सेमी x त्वचा की गहराई तक विदारित चोट बायीं भौं के क्षेत्र पर है।

3. दो बंधन के निशान, निचला स्टर्नोक्लेविकुलर जंक्शन के ठीक 2 सेमी ऊपर। एक अन्य स्टर्नोक्लेविकुलर जंक्शन के लगभग 4 सेमी ऊपर।

4. 1 सेमी x 1/2 सेमी x त्वचा की गहराई तक विदारित चोट दाहिनी कोहनी के क्षेत्र पर है।"

4. विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.12.1996 के अपने निर्णय द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 114 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास तथा उक्त निर्णय में उल्लिखित कारावास की अन्य अवधियों की सजा सुनाई।

5. उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि, निर्णय में यह टिप्पणी की गई थी कि चूँकि आरोपी सं. 4 की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी अपील उपशमित हो गई थी।

6. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हमें अभियोजन साक्ष्य 1 और अभियोजन साक्ष्य 4 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अभियोजन साक्ष्य 1 मृतक की पत्नी थी और उसका साक्ष्य विश्वास जाग्रत करता है। उसने कहा था कि

आरोपी सं. 4 ने आरोपी सं. 3 को रस्सी लाने का निर्देश दिया और फिर आरोपी सं. 1, 2 और 3 ने मृतक को रस्सी से बांध दिया और उसे ट्रैक्टर शेड में ले आए और आरोपी सं. 1 ने एक लकड़ी की पट्टी ली और मृतक के माथे पर पीटा। जब मृतक चिल्लाया तो अभियोजन साक्ष्य 4 वहां आया और उसने आरोपी से प्रश्न किया कि वे मृतक को क्यों पीट रहे थे लेकिन उसे पारिवारिक विषयों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया और अतः वह चला गया। उसके पश्चात्, आरोपी सं. 1 ने फिर से मृतक पर लकड़ी की पट्टी से हमला किया। आरोपी सं. 3 एक रस्सी लाया और आरोपी सं. 1 और 2 ने इसे मृतक की गर्दन पर बांध दिया और उसका गला घोंट दिया। आगे आरोपी सं. 4 के कहने पर आरोपी सं. 3 कीटनाशक लाया आरोपी सं. 1 ने मृतक का सिर पकड़ा और आरोपी सं. 2 ने मृतक के मुँह में कीटनाशक डाल दिया। हमें अभियोजन साक्ष्य 1 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

7. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्ष्य 1 ने पहले ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को एक भिन्न वृत्तांत दिया था जिसमें कहा गया था कि उसका पति साइकिल से गिर गया था। हालाँकि, अभियोजन साक्ष्य 1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष दिया गया कथन उस समय दिया गया था क्योंकि वह उस समय भयभीत थी और उसे आरोपी द्वारा बताया गया था कि यदि उसने सत्य कहा तो वे उसे मार डालेंगे। उस समय उसे किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था, और उसके पिता के आगमन के बाद ही उसे सत्य बोलने का साहस मिला। अतः हमारा यह मत है कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया उसका कथन दबाव और धमकी के अधीन था, और विचारण न्यायालय के समक्ष दिया गया उसका साक्ष्य विश्वसनीय है और चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन साक्ष्य 4 और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

8. आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है और हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

के.के.टी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।